राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग–3)

क्र.: एफ 20 (31) ग्रावि–3/नरेगा/क्रय पॉलिसी/09--10 जयपुर, दिनांक

5 APR 2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः– निर्माण सामग्री की निविदा में दरें प्राप्त नहीं होने, एकल निविदा प्राप्त होने, बीएसआर दरो से अधिक दरे प्राप्त होने, बीएसआर दरों से अत्यधिक कम दर प्राप्त होने के संबंध में मार्गदर्शन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित बिन्दुओं पर कुछ जिला कार्यक्रम समन्वयकों द्वारा राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा है कि उपरोक्त स्थिति में नरेगा योजनान्तर्गत कार्यो के लिए निर्माण सामग्री किस प्रकार क्रय की जावें।

इस संबंध निर्देशित जाता है कि संन्दर्भित बिन्दुओं में निम्नानुसार कार्यवाही की जावें

1. निविदा में दरे प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पुनः निविदा आमन्त्रण की कार्यवाही अमल में लायी जावें। दो बार निविदा आमन्त्रित करने पर भी दरें प्राप्त नहीं होती हैं तो जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक की अध्यक्षता वाली क्रय समिति में निर्णय लेकर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–II के नियम 38 में उल्लेखित परिस्थितियों एवं कारणों को क्रय समिति के कार्यवाही विवरण में अभिलिखित करते हुये नियम–42 में उपबन्धित रीति से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मो से खुली निविदा के स्थान पर सीमित निविदा से सामग्री क्रय कर ली जावें।
2. एकल निविदा प्रकरणों में प्राप्त दरों का वर्तमान बाजार दरों से तुलना करके राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक की अध्यक्षता मे गठित क्रय समिति पुनः निविदा आमन्त्रित करने अथवा निविदा पर निर्णय लेने हेतु सक्षम है। (नियम--55 (3)(iii))
3. जिला परिषद बीएसआर दरों से अधिक दरों के प्रकरणों में क्रय समिति न्यूनतम निविदादाता से नेगोशियेशन् कर दरे कम कराने का प्रयाय करेगी। अपवादिक परिस्थितियों में ही जिला परिषद की बीएसआर दरों से अधिक दर स्वीकृत की जावें। बीएसआर दरों से अधिक दर पर क्रय के मामलों में जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा निर्माण सामग्री की वर्तमान प्रचलित बाजार दर के निर्धारण हेतु बाजार सर्वे तथा तकनीकी अधिकारी से वस्तु की लागत आंकलन की कार्यवाही की जाकर ही बीएसआर से अधिक दर स्वीकृत की जावें तथा उक्त कारणों को विस्तृत रूप से क्रय समिति के कार्यवाही विवरण में अभिलिखित किया जावें बाजार सर्वे तथा सामग्री की लागत आंकलन से संबंधित दस्तावेजों को क्रय

पत्रावली में आवश्यक रूप से संधारित किया जावेगा तथा अधिकारियों के निरीक्षण/आडिट के मामले पर उन्हें उपलब्ध कराया जावेगा।

4. जिला परिषद की बीएसआर से अत्यधिक कम दरें प्राप्त होने की स्थिति में :– क्रय समिति द्वारा सामान्यतः निम्नतम दर वाली निविदा को स्वीकार किया जाना चाहिए लेकिन जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक की अध्यक्षता वाली क्रय समिति द्वारा निम्नतम दरो के प्रस्ताव को अनेक कारणो से जैसे सामग्री की गुणवत्ता, न्यूनतम दर पर निविदा दाता के पिछले समय के कार्य निष्पादन, भुगतान की असाधारण शर्तें या अन्य समान कारणो से स्वीकार करना सम्भव न हो तो क्रय समिति निम्नतम से भिन्न प्रस्ताव को स्वीकार कर सकेगी। क्रय समिति द्वारा इन कारणो को विस्तृत रूप से कार्यवाही विवरण मे अंकित किया जावे। (नियम 55(3)(1))

यहां यह उल्लेखनीय है कि सभी जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) में परियोजना अधिकारी (लेखा) पद स्थापित है। अतः वित्तीय नियमों के सन्दर्भ में प्रथमतः परियोजना अधिकारी लेखा से टिप्पणी ली जावें उसके उपरान्त मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस की जाने की स्थिति में ही प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जावें। राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों में इस बात को उल्लेखित किया जावें की इस प्रकरण का परियोजना अधिकारी लेखा से परिक्षण उपरान्त किस बिन्दु पर राज्य सरकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता हैं।

भवदीय

(सीएस राजन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ई.जी.एस.
4. समस्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राजस्थान
5. समस्त मुख्यालय के अधिकारी।
6. रक्षित पत्रावली

मुख्य लेखाधिकारी (नरेगा)

D:\Mahesh.doc